पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in, E-mail – dradmin@prsu.ac.in

क्रमांक / 610 / सा.प्रशा. / कोविड / एफ–01 / 2022 **रायपुर, दिनांक 07 / 02 / 2022**

प्रति,

समस्त संचालक / विभागाध्यक्ष / कार्यालय प्रमुख
पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषयः– **विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति संबंधी।**

संदर्भः–
1. छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के क्रमांक एफ 1–2 / 2020 / 1–5 दिनांक 07.02.2022
2. उच्च शिक्षा के पत्र क्रमांक एफ 17–04 / 2022 / 38–1 / नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 04.02.2022
3. इस कार्या. के पत्र क्रं. 202 / सा.प्रशा. / कोविड / एफ–01 / 2022 दिनांक 14.01.2022

विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग के उपर्युक्त पत्रों के परिपालन में निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जावें –

1. संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक श्रेणी के शिक्षक / अधिकारियों / कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से **शतप्रतिशत उपस्थिति** किया जाता है।
2. शैक्षणिक अमलों द्वारा विश्वविद्यालय में उपस्थित रहकर समय–सारिणी अनुसार ऑनलाईन / ऑफलाईन कक्षाऐं नियत समय पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायें।
3. समस्त अधिकारी / कर्मचारियों को कोविड–19 संक्रमण के बचाव हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को अनिवार्यतः रूप से पालन कराया जावें।
4. सभी अधिकारी / कर्मचारी कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे– मास्क लगाना, एक–दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय–समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन कराया जाएं।
5. जिले में संक्रमण दर को ध्यान में रखते हुए छात्रों की भौतिक रूप से उपस्थिति हेतु कलेक्टर द्वारा स्कूल एवं आंगनबाड़ी के लिए जारी निर्देश स्वतः विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के लिए मान्य होंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

आदेशानुसार
7.2.22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / 611 / सा.प्रशा. / कोविड / एफ–01 / 2022 **रायपुर, दिनांक 07 / 02 / 2022**

प्रतिलिपिः–

01. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर– 492002 को सूचनार्थ,
02. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को सूचनार्थ,
03. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, पं.र.शु.वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ।

उपकुलसचिव (प्रशा.)

कोविड–19 / तत्काल / महत्वपूर्ण

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर–492002

कमांक एफ 1–2/2020/1–5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

प्रति,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन, समस्त विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
नवा रायपुर अटल नगर एवं रायपुर (छ.ग.)

विषयः– मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के विषय में निर्देश।

–00–

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड–19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 29/01/2022 द्वारा मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु पचास प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए थे।

कोविड–19 के वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आम जनता के कार्यों के शीघ्र निराकरण किए जाने हेतु मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में शासकीय कार्य संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जावेः–

1. मंत्रालय एवं समस्त विभागाध्यक्ष कार्यालयों में दिनांक 08/02/2021 (दिन–मंगलवार) से सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जावे ।
2. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों कोविड–19 संक्रमण के बचाव हेतु समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को अनिवार्यतः रूप से पालन करेंगे ।
3. सभी अधिकारी/कर्मचारी कोविड–19 के संक्रमण के रोकथाम हेतु निर्धारित मापदंड जैसे मास्क लगाना, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाये रखना, सेनिटाइजर का समय–समय पर उपयोग करना इत्यादि का कड़ाई से पालन करेंगे ।

07/02/22

(संजय अग्रवाल)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ0क. एफ 1–2/2020/1–5 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
2. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग. शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर (छ.ग.)
3. अवर सचिव, छ.ग. शासन, साप्रवि (अधीक्षण), मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
4. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

07/02/22

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर .

--00--

//आदेश//

नवा रायपुर,अटल नगर,दिनांक 04.02.2022

कमांक एफ 17–04/2022/38–1 :: समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2022 द्वारा समस्त राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/शासकीय एवं निजी महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021–22 में अध्ययन–अध्यापन तथा परीक्षाओं के संबंध में आदेश प्रसारित किये गये थे। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड–19 से संकमित प्रकरणों की संख्या में निरतंर कमी दर्ज की जा रही है । अतः निम्नानुसार संशोधित आदेश प्रसारित किये जाते है :–

1. संकमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमलों की 100 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किया जावे ।
2. शैक्षणिक अमलो द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित रहकर समय–सारिणी अनुसार ऑनलाईन /ऑफलाईन कक्षाऐं नियत समय पर लिया जाना सुनिश्चित किया जायें ।
3. जिले में संकमण दर को ध्यान रखते हुए छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे । 04 प्रतिशत से कम संकमण वाले जिलों में भौतिक रूप से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ कर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । 04 प्रतिशत से अधिक संकमण वाले जिलो में स्थानीय प्रशासन द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी हेतु जारी निर्देश के अनुरूप कार्यवाही की जावे।
4. कोविड प्रोटोकॉल संबंधी निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

5/2

(ए.आर.खान)
अवर सचिव

पृ क. एफ 17–04/2022/38–1 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04.02.2022

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन,रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर,

निरंतर..

3. कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
4. कुलपति, कुशाभाऊ ठाकरे, पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, काठाडीह, रायपुर,
5. कुलपति पं. सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोनी–बिरकोना मार्ग, बिलासपुर,
6. कुलपति, अटल बिहारी, बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
7. कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगलदपुर,
8. कुलपति, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंबिकापुर,
9. कुलपति, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय,खैरागढ़, राजनांदगांव,
10. कुलपति, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग,
11. समस्त निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति
12. आयुक्त,उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर । कृपया संबंधित शिक्षण संस्थाओं को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें ।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़,
14. समस्त कलेक्टर, छत्तीसगढ़,
15. सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय, विनियामक आयोग, मधुपिल्ले चौक, शांति नगर, रायपुर,
16. माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक,
17. समस्त कुलसचिव, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़,
18. उप सचिव,मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय नवा रायपुर अटल नगर,
19. संचालक,जनसम्पर्क संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर,

की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग